बिहार सरकार
परिवहन विभाग

सूचना

पत्रांक–03 / परि० (विविध)–08 / 2018 परि० 6880   दिनांकः– 20/9/18

"मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना" का पायलट प्रोजेक्ट के रूप में दिनांक– 02.10.2018 को शुभारंभ किया जायेगा। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 02 पंचायतों का चयन किया गया है–

1. समस्तीपुर जिलान्तर्गत गंगापुर पंचायत (प्रखंड– सरायरंजन)
2. नालंदा जिलान्तर्गत पावा पंचायत (प्रखंड– बिहारशरीफ)

इन 02 पंचायतों में इस योजना के क्रियान्वयन की एक समय–सीमा निर्धारित की गयी है, जो निम्नवत है :–

क्र०	विषय	अवधि
1.	आवेदन प्राप्ति की तिथि	19.09.2018–26.09.2018 के 03:00 बजे अपराहन तक
2.	प्रखंड स्तर पर वरीयता सूची का निर्माण एवं अनुशंसा का प्रेषण।	26.09.2018 (सायं 05:00 बजे तक)
3.	अनुमंडल स्तरीय समिति द्वारा चयन एवं प्रतीक्षा सूची के निर्माण हेतु बैठक एवं प्रारूप चयन सूची तथा प्रतीक्षा सूची का निर्माण।	27.09.2018
4.	प्रारूप चयन सूची का प्रकाशन एवं आपत्ति आमंत्रण (आपत्ति आमंत्रण के लिए उक्त पंचायतों में सघन प्रचार)।	27.09.2018–29.09.2018
5.	आपत्ति पर अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा सुनवाई एवं अंतिम रूप से चयन सूची एवं प्रतीक्षा सूची का प्रकाशन।	29.09.2018
6.	अनुदान वितरण से संबंधित प्रक्रिया पूर्ण करे	30.09.2018

इन पंचायतों के लाभुक मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए विहित प्रपत्र में आवेदन कर सकते है। आवेदन का प्रारूप परिवहन विभाग के वेबसाईट पर उपलब्ध है। विस्तृत जानकारी के लिए स्थानीय प्रखंड विकास पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, जिला परिवहन पदाधिकारी एवं जिला पदाधिकारी के कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।

20/9/18
उप सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।